न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस नं0–05/2017–18

सकील मंडल

बनाम

वासुदेव मंडल वगैरह

12.8.25

–: आदेश :–

वर्तमान वाद आवेदक सकील मंडल, पिता–स्व0 भादो मंडल, सा0–लकड़मारा, थाना–बलबड्डा, अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा के द्वारा मौजा लकड़मारा, थाना नं0–342, जमाबंदी नं0–21, रकवा–00–18–11 धूर जमीन से विपक्षीगण को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत उच्छेद करने हेतु दाखिल किया है। दाखिल आवेदन के आलोक में विपक्षीगण को नोटिस निर्गत करते हुए कारण–पृच्छा की मांग की गई।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा उनके द्वारा दाखिल आवेदन, कारण–पृच्छा एवं अंचल अधिकारी, मेहरमा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा लकड़मारा, जमाबंदी नं0–21 गत गेंजर सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत कैलु मंडल के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत कैलु मंडल को तीन पुत्र गनौरी मंडल, अशोक मंडल एवं भादो मंडल थे। भादो मंडल नावल्द थे। भादो मंडल ने लेख्य प्रमाणक के समक्ष शपथ–पत्र सं0–1470, दिनांक–30.12.2000 को आवेदक को गोद लिया। भादो मंडल की मृत्यु के बाद उनकी सम्पत्ति पर आवेदक उत्तराधिकारी होने के नाते दखलकार हुए। आवेदक प्रश्नगत भूमि पर वर्ष 2016 तक दखलकार होकर जोत–आबाद करते थे। पिता की मृत्यु के बाद प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी अवैध रूप से जोत–आबाद करने लगे। गत गेंजर सर्वे सेटलमेंट पर्चा में अंकित सभी जमाबंदी रैयतों ने मौजा लकड़मारा की जमीन को बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर दखलकार हुए। गेंजर पर्चा के कैफियत कॉलम में प्रश्नगत भूमि जमाबंदी रैयत कैलू मंडल दर्ज है जिसपर विपक्षीगण बाजबरन दखलकार हो गये हैं। अंत में अनुरोध करते हैं कि प्रश्नगत भूमि से विपक्षी को उच्छेद कर दखल दिलाया जाय।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि भादे मंडल को कोई पुत्र नहीं था। भादे मंडल ने विपक्षी वासुदेव मंडल के पुत्र उदय कुमार को 12 वर्ष की उम्र में दिनांक–31.10.2014 को दुर्गा पूजा के दशमी के शुभ दिन एवं सही अवसर में पूजा–पाठ, ग्रामीण एवं सगे–संबंधी की उपस्थिति में गोद लिया है तथा दिनांक–24.02.2016 को निबंधन कार्यालय से रजिस्र्टड डीड नं0–23/16 गोदनामा पत्र बनाया गया है। गोद लेने के बाद उदय कुमार भादो मंडल के साथ रहकर उनके हिस्से की जमीन पर जोत–आबाद तथा भादे मंडल की सेवा एवं देखभाल करने लगे। भादो मंडल की मृत्यु के बाद उनका मुखाग्नि देकर दाह–संस्कार तथा विधि–विधान के साथ श्राद कर्म भी उदय कुमार ने किया है। भादो मंडल की मृत्यु के बाद उनके हिस्से की जमीन पर आजतक उनके दत्तक पुत्र दखलकार होकर जोत–आबाद करते चले आ रहे हैं। आवेदक को गोद लेते समय उसकी उम्र काफी अधिक लगभग 40 वर्ष थी जो विधि–मान्य नहीं है और ना ही पोष्यपुत्रनामा कागजात है। आवेदक

के द्वारा दाखिल पोष्यपुत्रनामा कागजात जाली एवं फर्जी है। अंत में अनुरोध करते हैं कि आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज किया जाय।

अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–372/रा0, दिनांक–25.05.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा लकड़मारा, थाना नं0–342, जमाबंदी नं0–21 जमाबंदी रैयत कैलू मंडल वल्द घनक मंडल वो छंगुरी मंडल वल्द मंगरू मंडल वो वृहस्पति मंडल वल्द टुनक मंडल वो श्यामलाल मंडल वल्द लखु मंडल कौम केवट सा0–देह कहकर सर्वे पर्चा में दर्ज है। जमाबंदी रैयत कैलू मंडल के तीन पुत्र गनौरी मंडल, आसो मंडल एवं भादो मंडल थे। गनौरी मंउल को दो पुत्र सकील मंडल एवं सुशील मंडल (आवेदक) हुए। विपक्षी वासुदेव मंडल आसो मंडल के पुत्र हैं। इस प्रकार उभय पक्ष आपस में चचेरे भाई हैं। जमाबंदी रैयत का तीसरा बेटा भादो मंडल की पत्नी कारी देवी नावल्द मृत है। आवेदक सकील मंडल, पे0–गनौरी मंडल अपने को भादो मंडल का पोष्यपुत्र बताते हैं जबकि वासुदेव मंडल अपने कनिष्ठ पुत्र उदय शंकर को पोष्यपुत्र बताते हैं। भादो मंडल के जीवनकाल से ही वासुदेव मंडल उनके हिस्से की जमीन पर जोत–आबाद करते थे। उभय पक्ष की ओर से पोष्यपुत्र से संबंधित वैध दस्तावेज समर्पित नहीं किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, मेहरमा के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि गत गेंजर पर्चा में मौजा लकड़मारा, थाना नं0–342, जमाबंदी नं0–21 जमाबंदी रैयत कैलू मंडल वल्द घनक मंडल वो छंगुरी मंडल वल्द मंगरू मंडल वो वृहस्पति मंडल वल्द टुनक मंडल वो श्यामलाल मंडल वल्द लखु मंडल कौम केवट सा0–देह कहकर सर्वे पर्चा में दर्ज है। उभय पक्ष जमाबंदी रैयत के वारिशान हैं एवं चचेरे भाई है। उभय पक्ष के बीच मामला जमाबंदी रैयत के पुत्र भादो मंडल (नावल्द मृत) के हिस्से की जमीन को लेकर है। स्पष्ट है कि उभय पक्ष के बीच मामला उत्तराधिकारी को लेकर है जिसका निराकरण इस प्रक्रिया के तहत संभव नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यो से संतुष्ट होकर आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करते हुए वर्तमान वाद समाप्त किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

7/8/25

अनुमण्डल पदाधिकारी,
महागामा।

7/8/25.

अनुमण्डल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.10.15 15:51:39 +05:30
Location: 192.168.72.148